संख्या–1437 / 49–3–2010–100(15) / 2006

(12)

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांकः 18 मई, 2010.

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय सदस्यता शुल्क की प्रथम किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–29 / शिक्षा–बजट / 2010–11, दिनॉक 28 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क / अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख(रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम 6 माह के व्यय हेतु रू0 5.00 लाख(रूपये पॉच लाख मात्र) की प्रथम किश्त की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2– उक्त जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था / नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदानसंख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–003–प्रशिक्षण --प्रशिक्षण–05–सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या–1437(1) / 49–3–2010, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
6– मो0 आसिफ खॉ, प्रभारी निकनेट सेल, कृषि उत्पादन शाखा, लखनऊ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र सिंह) 18/5/10
संयुक्त सचिव।